

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर  
विविध बैंक प्रकरण संख्या 37/2022(GCMS : 2022/57)

पंजाब नेशनल बैंक जरिये श्री निशान्त खुराना, प्राधिकृत अधिकारी/मुख्य प्रबन्धक,  
कार्यालय SASTRA केन्द्र, प्रथम तल, मण्डल कार्यालय, नजदीक सीरा चौक,  
श्रीगंगानगर

**बनाम**

श्री सोम चंद पुत्र श्री नत्थू राम (मैसर्स शिव किरयाना एंजिनियरिंग स्टोर में  
प्रोपराईटर) निवासी चक 23 बीबी, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)  
सत्यमेव जयते

**31.07.2023**

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री भारत भूषण महेन्द्रा  
उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक की ओर से विद्धो किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किया।  
प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक ने अप्रार्थी सोमचंद द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न  
किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सोमचंद  
की आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं० 201 (भाग उत्तरी कोर्नर) (क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट)  
वार्ड नं. 8, चक 23 बीबी (बेरा) तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक  
कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और  
पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र  
दिनांक 11.02.2022 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी  
बैंक की बकाया समस्त राशि जमा करवा दी है इसलिए प्रार्थी बैंक ऋणी के विरुद्ध  
इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है अर्थात् नॉट प्रैस  
करता है और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती  
है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।


*Amul*  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्री गंगानगर



मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 11.02.2022 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थी सोमचंद के विरुद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में सोमचंद की आवासीय सम्पत्ति प्लॉट नं० 201 (भाग उत्तरी कोर्नर) (क्षेत्रफल 2000 वर्गफुट) वार्ड नं. 8, चक 23 बीबी (बेरा) तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आशय का लिखित प्रार्थना पत्र प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने पेश किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अंशदीप)  
जिला मजिस्ट्रेट  
श्रीगंगानगर  
श्री बंसानकर